(ख) अनुसूचित क्षेत्रों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच में ही स्कूल छोड़ कर चले जाने वाले छात्रों की प्रतिशतता कितनी है;

(ग) क्या बीच में ही स्कूल छोडने वाले छात्रों के मामलों को रोकने के लिये उठाये गये कदम पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है; और

(ड़) सरकार द्वारा बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या को कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं / उठाये जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लड़कों एवं लड़कियों के लिए होस्टलों के निर्माण की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान क्रमशः कुल 31, 568, 35361 और 22, 994 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को होस्टल सुविधाएं प्रदान की गई।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) से (ड़) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों में बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर जाने वाले को कम करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं:—

— छात्रवृत्तियां, पाठ्य पुस्तकें होस्टल सुविधाएं आदि जैसे प्रावधान अथवा प्रोत्साहन;

— 200 की आबादी के लिए एक किलोमीटर के भीतर प्राइमरी स्कूलों का प्रावधान;

— आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राइमरी स्कूलों में सुविधाओं का विकास;

— लक्ष्य समूह के प्रति उन्मुख कार्य नीतियां अपनाना तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की पहुंच पूर्वानुमान और उपलब्धि के लिए अलग लक्ष्य निर्धारित करना।

— उन बच्चों के लिए औपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम में विविधता और सुधार जो औपचारिक स्कूल प्रणाली से बाहर रह जाते हैं; आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल खोलना।

इन उपायों के फलस्वरूप अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों में बीच में ही पढ़ाई छोड़कर जाने वालों के दर में सामान्यतः कमी आ रही है।

Amount spent by subsidiaries of Coal India Limited on areas for Community Development

2516. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the subsidiaries of the Coal India Limited are spending substantial amount on peripheral areas for community development;

(b) the basis of such allotment by the Coal India Limited;

(c) whether any Committee has been constituted at the subsidiary level to monitor the programmes; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) While making allotment of funds to the subsidiary companies, coverage of the geographical areas, size and total strength of the concerned subsidiary company are generally taken into consideration by Coal India Limited.

(c) and (d) Yes, Sir. In some of the subsidiary companies, the programme is monitored by Welfare Board or its Sub-Comittee in consultation with 20-point programme implementation committee of the State Govt. In few other places it is monitored by a separate Department/ Cell constituted by the company. The subsidiary-wise details of the committees are given hereunder:

(i) ECL: By Welfare Board which consists of representatives of all Central Trade Unions and management. At Area Level also there are Welfare Committees consisting of representatives of functioning unions and of the management.

(ii) BCCL: Welfare Board—There are 10 Members from the unions in addition to members from the management of BCCL and one member from CIL's Welfare Board.

(iii) CCL: By a monitoring Cell at the company's Head Quarters.

(iv) NCL: By a Sub-Committee of NCL's Welfare Board. This is a Bipartite Committee consisting of members both from unions and management.

(v) WCL: By Welfare Board and its three Sub-Committees which consist of management and Union representatives.

(vi) SECL: Community Development works are executed and monitored directly by the Welfare Department at the corporate level.

(vii) MCL: By a Committee—This consists of CMD, District Collector, MP and MLA representing the coalfields.

(viii) CMPDIL: The Community Development works are approved by the Functional Directors and executed by the concerned Department.

(ix) NEC/CIL: By a Committee consisting of management and unions representatives.

राज्य व्यापार निगम द्वारा मध्य प्रदेश में निर्यात हेतु निर्धारित वस्तुएं

2517. श्री राघव जी: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1995 तथा 1996 के दौरान मध्य प्रदेश से कौन-कौन सी वस्तुएं निर्यात की तथा उनमें से प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना-कितना था;

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा मध्य प्रदेश से विभिन्न वस्तुओं के निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार ढूंढने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं तथा इन वस्तुओं की सूची क्या है;

(ग) क्या सरकार देश के प्रत्येक राज्य में निगम का एक-एक कार्यालय खोलने का विचार रखती है; यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या-क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रामैया): (क) मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल स्थित राज्य व्यापार निगम की शाखा एक वित्तीय वर्ष के आधार पर अपने लेखाओं/रिकार्डों को रख रही है। तदनुसार, वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान इस शाखा द्वारा निर्यात की गई प्रमुख मद—रैपसीड मील, साल तेल रहित खली इत्यादि जैसे अन्य निस्सारणों सहित निस्सारणों का मूल्य नीचे दिया गया है:—

(करोड़ रु०)

मद	1994-95	1995-96
सोयाबीन मील	28.95	46.32
रैपसीड मील	0.95	2.72
साल तेल रहित खली	0.42	0.01
सूरजमुखी मील	—	0.10
	30.32	49.15

राज्य व्यापार निगम की बम्बई स्थित शाखा ने भी मुख्यतः मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त होने वाले निस्सारणों का निर्यात किया है, इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रु०)

मद	1994-95	1995-96
सोयाबीन मील	7.50	30.34
रैपसीड मील	0.60	2.56
सनफ्लावर सीड निस्सारण	0.09	0.06
अन्य	0.02	—
	8.27	32.96

(ख) देश के कुल सोयासीड उत्पादन और परिणामी तेल रहित खली/निस्सारणों का लगभग 80% हिस्सा मध्य प्रदेश का है। सोयाबीन मील और अन्य निस्सारणों के निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का पता लगाने के लिए, राज्य व्यापार निगम ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—